प्रपत्र – 2

कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान, कटिहार

पत्रांक SSA/1262

दिनांक 11.09.12

प्रेषक : जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान,
कटिहार।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक
चिल्ड्रेन हैप्पी होम
गामी टोला, कटिहार।

विषय : बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2011 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किए गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय चिल्ड्रेन हैप्पी होम (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) गामी टोला, कटिहार के संचालन हेतु तीन वर्षो अर्थात् 31.03.2015 तक के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगी :

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक –2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं अलाभकारी समूल के बच्चों का करेगा तथा उन्हे मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म –स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगे :

Principal
Children's Happy Home
Affiliation No-330759
School No-50695
Rojidpur, Katihar

Principal
Children's Happy Home
Affiliation No-330759
School No-50695
Rojidpur, Katihar

i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा अथवा और नहीं ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii. शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् :–

- विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल – 2 एकड़ 3 डिसमिल
- कुल निर्मित क्षेत्र – 13021 वर्ग फीट
- खेल के मैदान का क्षेत्र – 56700 वर्ग फीट
- वर्गकक्षों की कुल संख्या – 19
- प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष – हाँ
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय – 6+6
- पेयजल की सुविधा – नल का पानी
- बाधारहित पहुँच – हाँ
- शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय – हाँ

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

Principal
Children's Happy Home
Affiliation No-330759
School No-50695
Rojidpur, Katihar

Principal
Children's Happy Home
Affiliation No-330759
School No-50695
Rojidpur, Katihar